

11-01-22. ~~व~~ पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई न अधिवक्ता अपीलान्ट और न अपीलान्ट स्वयं उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया आदेशिका दि. 16-11-21 के अनुसार पत्रा. अदम एजरी, अदम पैरकी व अदम तकमील में रवारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार छोकर नम्बर से कम की जावे, बाक तकमील दारखिल दफ्तर थे।

सुबान्त बापुबापु  
रदेम  
राज्य मरीज बाधिकार  
अपतपुन संभ-बीजपु